पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
कार्मिक शाखा,जबलपुर

क्रं. जबल/का/620/भर्ती/एक्ट अप्रें./अधिसूचना 01/2017–18 वर्ष दिनांक : 09.11.2017

<u>विज्ञापन क्रंमाक 01/2017–18/जबलपुर मंडल</u>

विषय :– अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओ (ट्रेड अप्रेटिंस) की भर्ती : पश्चिम मध्य रेल – जबलपुर मंडल ।

––––––––––00––––––––––

अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए **<u>जबलपुर मंडल</u>** में **<u>407</u>** एक्ट प्रशिक्षुओं की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यदि प्रोफार्मा में उल्लेखित कोई आवश्यक कागजात संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

1. अप्रेटिंस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओं की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगी :–

क्रं.	ट्रेनिंग का स्थान	ट्रेड	पदों की संख्या					एन.सी.व्ही.टी./ एस.सी.व्ही.टी से मान्यता प्राप्त आवश्यक आई.टी.आई ट्रेड
			सामा.	अजा.	अजजा	अ.पि.व.	योग	
1	डीजल शेड, न्यू कटनी जंक्शन	मैकेनिक विंग						
		टेक्नीशियन/ फिटर	30	09	05	16	60	डीजल मैकेनिकल
		वेल्डर	09	02	01	04	16	वेल्डर
		विधुत विंग						
		टेक्नीशियन	30	09	05	16	60	इलेक्ट्रिशियन
2	सी.एण्ड.डब्लू न्यू कटनी जंक्शन	फिटर	75	23	11	41	150	फिटर
		वेल्डर	09	02	01	04	16	वेल्डर
3	टी.आर.एस न्यू कटनी जंक्शन	टेक्नीशियन	53	16	08	28	105	इलेक्ट्रिशियन
		कुल योग	206	61	31	109	407	

1.1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से फिटर के एक पद हेतु इसके लिए केवल लोको मोटर अक्षम या सेरेवल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे तथा इलेक्ट्रिशियन के एक पद हेतु

इसके लिए केवल अस्थि दोष विकलांग उम्मीदवार (OH)जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे।

1.2. निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस हेतु भूतपूर्व कर्मचारी ,उनके बच्चों तथा आर्म फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु 3 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे (i) प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे जिसमें शांतिकाल के दौरान प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल है (ii) भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे (iii)सेवारत जवानों के बच्चे (iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे (v) भूतपूर्व कर्मचारी ।

2. **आयु सीमा की गणना** :– दिनांक **01.01.2018** को उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु पूर्ण किया तथा 24 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिए।

2.1 अजा/अजजा उम्मीदवारों को 05 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छुट दी गई है।

2.2 अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छुट दी गई है।

2.3 शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छुट दी गई है।

3. **शैक्षणिक योग्यता** :– मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50 प्रतिशात अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई जिसे एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी से मान्यता प्राप्त हों (सिर्फ प्रिंसीपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नही किए जाएंगें) में पास हों।

3. **प्रशिक्षण अवधि** :–आर.डी.ए.टी/कानपुर के नियमानुसार एवं रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार।

5. **पारिश्रमिक** :– वर्तमान प्रचलित नियमानुसार भुगतान किया जाएगा ।

6. **आन लाइन आवेदन करने तरीका** :– आवेदन पत्र एमपीआनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जायेगा। प्रत्येक उम्मीद्वार को 100रू. रूपये प्रक्रियां शुल्क के रूप में तथा 70रू.+ 18% GST एमपी ऑन लाईन पोर्टल शुल्क के रूप में भुगतान ऑन लाईन करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,शारीरिक विकलांग व महिला उम्मीद्वारों के लिए प्रक्रियां शुल्क में छूट है, इनसे सिर्फ पोर्टल शुल्क के रूप में 70रू.+ 18% GST लिया जायेगा। इच्छुक उम्मीद्वार www.mponline.gov.in वेबसाइट में जाकर Home page में application option में जाकर west central railway click करें।

7. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आश्वस्त होना चाहिए कि वे योग्यता तथा अन्य अर्हता पूर्ण कर लिए हैं। अपेक्षित योग्यता पूरा नहीं होने पर पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल द्वारा किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा यदि कोई भूलवश भी भर्ती हो गई हो तो उन उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना को बर्खास्त कर सकता है।

8. सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए तथा उस पर मुहर लगी होने चाहिए एवं सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम लिखा होना चाहिए ।

9. **भर्ती की प्रणाली :–**

9.1 एक्ट प्रशिक्षुओं का चयन दसवीं /समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) के प्राप्ताकों के आधार पर किया जायेगा।

9.2 अपेक्षित एक्ट अप्रेंन्टिस की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा के लिए बुलावा जाएगा।

9.3 उम्मीदवारों की अंतिम सूचीबद्धता मंडल के लिए प्रयोज्य उपयुक्त चिकित्सा जाँच के बाद ही होगी।

9.4 सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता/ट्रैविलिंग भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

9.5 होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अप्रेंन्टिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

नोट :– यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रकियॉ में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदानुसार

चयन का मापदंड अपनाया जायेगा।

10. **एक्ट अप्रेंन्टिस का कोर्स पास करने के बाद रेल्वे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं हैं।**

11. **ट्रेनिंग का करार** :– उपयुक्त पदनाम वाले ट्रेडमार्क अप्रेटिंस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनितउम्मीदवार या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लायर के साथ अप्रेटिंस– शिप का करार करना होगा ।

12. **चिकित्सा प्रशिक्षण** :– रेलवे द्वारा मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु चयनित माना जाएगा। यदि वह शारीरिक दृष्टि से अनुत्तीर्ण हुआ तो उसकी प्रशिक्षुता समाप्त कर दी जाएगी एवं उसका कोई भी मुआवजा/कम्पन्सेशन नहीं दिया जाएगा ।

12.2 प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर प्रशिक्षुता करार समाप्त हो जाएगा। प्रशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी । सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारन्टी नहीं है।

13. बिना कारण बताते हुए उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जायेगा। उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा । यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठे सूचनाएं दी है तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जाएगा ।

(डी.पी.गुप्ता)

वरि.मं.का.अधि.,पमरे,जबलपुर